मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च, 2010 (चैत्र 5, 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. स्वागत

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्रीसज्जन सिंह वर्मा तथा श्रीमती माया सिंह, सांसदगण की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से उल्लेख किया गया।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 17 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 131 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 160 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा प्रश्न संख्या 20 (*क्र. 4150) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

3. नियम 267- क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 29 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा मैने प्रदान की है यह सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेगी। इस सभी सूचनाओं को उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा।

(1) श्री देवेन्द्र पटेल, सदस्य की रायसेन के बाड़ी नगर में आदिवासी बालक-बालिका आश्रम में भ्रष्टाचार होने,

(2) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के मिनौरा रोड़ प्रजनन केन्द्र के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन न मिलने,

(3) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य की मध्यप्रदेश विद्युत मंडल वितरण कंपनी में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को वेतन न मिलने,

(4) श्री राव देशराज सिंह यादव, सदस्य की अशोक नगर कोयला घाटी में ट्रेक्टर ट्राली पलटने से चार व्यक्तियों की मृत्यु होने,

(5) श्री सुरेश चौधरी, सदस्य की सबलगढ़ रामपुर मार्ग पर बस पलटने से छात्र की मृत्यु होने,

(6) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य की प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरियां करने वालों के खिलाफ कार्यवाही न होने,

(7) श्री संजय पाठक, सदस्य की बरही थाना प्रभारी द्वारा अकारण लोगों को परेशान किये जाने,

(8) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य की भोपाल के वार्ड क्रमांक 46 में पानी की किल्लत होने,

(9) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ में कार्यरत श्रमिकों को नियमित न किये जाने,

(10) श्री अन्तर सिंह आर्य, सदस्य की बड़वानी के फलसूद क्षेत्र में सिंचाई योजना की स्वीकृति जारी न होने,

(11) श्री दीपक कैलाश जोशी, सदस्य की भोपाल के कोटरा सुल्तानाबाद आदि क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर झुग्गियां बनाई जाने,

(12) श्री छतरपुर के ग्राम गरसारी के खलिहानों एवं मकानों में आग लगने से होने वाली क्षति का मुआवजा न दिये जाने,

(13) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के श्यामपुर गोरस सड़क मार्ग हेतु अवैध उत्खनन होने,

(14) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य की मंडला में पदस्थ वाहन चालक को पद न होते हुए भी नियमित किये जाने,

(15) श्री अजय सिंह, सदस्य की प्रदेश के नगरीय निकायों में पद रिक्त होने के बाद भी पदोन्नति न दी जाने,

(16) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य की ग्वालियर प्राधिकरण द्वार बनाई गई कालोनियों में सड़क की जर्जर हालत होने,

(17) डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य की भोपाल नगर निगम द्वारा पानी के बिल प्रत्येक माह न दिये जाने,

(18) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य की भोपाल के अयोध्या नगर में पेयजल संकट होने,

(19) श्री सुनील जायसवाल, सदस्य की भोपाल में विकलांग बच्चों को शासन द्वारा देय सुविधायें न दी जाने,

(20) श्री रामलाल मालवीय, सदस्य की उज्जैन जिले में ओलावृष्टि से फसलें नष्ट होने,

(21) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की मंडला जिले के विकासखण्ड मवई क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बंद होने,

(22) श्री कमलेश जाटव एडवोकेट, सदस्य की उमरिया जिले कके विरसिंहपुर पाली स्थित शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा होने,

(23) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), सदस्य की विदिशा जिले के ग्राम सनौटी निवासी बुजुर्ग की भूमि पर अवैध कब्जा होने,

(24) श्री राधेलाल बघेल, सदस्य की ग्वालियर के डबरा नगर पालिका अध्यक्ष के समय एस.डी.एम. द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने,

(25) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य की डिण्डोरी जिले में पाले से फसल नष्ट होने,

(26) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य की कटनी के सिनगौड़ी में पदस्थ चिकित्सक कार्य पर अनुपस्थित रहने,

(27) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य की शिवपुरी जिले के करेरा में ट्रक आटो टक्कर से मृतक परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाने,

(28) श्री रामलखन सिंह, सदस्य की प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायकों की भर्ती में आरक्षण नियमों का प्रावधान न होने तथा

(29) श्री मदन कुशवाह, सदस्य की ग्वालियर के महाराजपुर में आग लगने से तीन बच्चों की मौत एवं 8-9 मकान जलकर नष्ट होने संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।

(श्री रामलखन सिंह, सदस्य द्वारा उनकी ध्यानाकर्षण की सूचना पर चर्चा की मांग करते हुए बहिर्गमन किया गया)

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी , वित्त मंत्री ने राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश वित्त निगम का दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखा।

(2) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल (संशोधन) अधिनियम, 1998 (क्रमांक 14 सन् 1998) की धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 (अप्रैल, 2002 से अक्टूबर, 2002 तक तथा दिनांक 01.11.2002 से दिनांक 31.03.2003 तक) पटल पर रखे।

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम अधिनियम, 1980 (क्रमांक 18 सन् 1980) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2006-2007 तथा 2007-2008 पटल पर रखे।

5. संपत्ति विवरण पटल पर रखा जाना

श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने अपनी तथा अपने परिवार की सम्पत्ति का विवरण पटल पर रखा।

6. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज की कार्यसूची में 52 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्दारित की गई है कि इनमें क्रमश प्रथम 10 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जायेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जाऐगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जयेगी। उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जायेगा।

सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

(कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण आदिवासियों को पट्टे दिलाने की मांग करते हुए गर्भगृह में आए तथा बहिर्गमन किया गया)

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी तथा श्री हरेन्द्रजीत सिंह "बब्बू", सदस्यगण ने जबलपुर जिले के ग्राम तिलहरी में नियम विरूद्ध मकानों का निर्माण होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ. विजयलक्ष्मी साधो, सदस्य ने खरगौन जिले की महेश्वर नगर पंचायत द्वारा नियम विरूद्ध मकान तोड़े जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने जबलपुर संभागीय नगर सेना में की जा रही भर्ती में अनियमितता होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) सर्वश्री रत्नेश सॉलोमन तथा डॉ. निशिथ पटेल, सदस्यगण ने प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों की कमी से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) सर्वश्री अजय अर्जुन सिंह, लक्ष्मण तिवारी, आरिफ अकील तथा पारस दादा सकलेचा, सदस्यगण ने रीवा सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा एक बालक के साथ अमानवीय मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) श्रीमती शशि ठाकुर, सदस्य ने सिवनी जिले के विकासखण्ड घंसौर में महाविद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(7) कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा, सर्वश्री प्रियव्रत सिंह तथा बृजराज सिंह चौहान, सदस्यगण ने छतरपुर जिले की राजनगर जनपद पंचायत के अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों के शिलान्यास समारोह में आदेश जारी करने से उत्पन्न स्थिति की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(8) सर्वश्री अभय कुमार मिश्रा, देवेन्द्र पटेल तथा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्यगण ने मध्यप्रदेश सेतु निगम में फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर शासकीय सेवा कर रहे अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही न किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अपराह्न 1.02 बजे से 2.35 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए.

(9) श्री राव राजकुमार सिंह यादव, सदस्य ने अशोक नगर जिले के चंदेरी क्षेत्र में खाद्यान्न की कालाबाजारी होने की ओर राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पारस चन्द्र जैन, राज्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने इस पर वक्तव्य दिया।

(10) श्री माखनलाल राठौर, सदस्य ने शिवपुरी नगर में सड़कों की जर्जर हालत होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 3 के उपपद (11) से (52) तक के सदस्यों की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े माने गए -

(11) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य की भिण्ड जिले के अस्पतालों से दवाएं न मिलने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(12) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की जबलपुर जिले के हनुमान ताल पुलिस कर्मियों की प्रताड़ना से युवक द्वारा आत्महत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(13) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री ताराचन्द बावरिया, सदस्यगण की व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी चिकित्सकों की भर्ती में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा आयुष मंत्री का वक्तव्य।

(14) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले में वनों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का वक्तव्य।

(15) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले में खाद्यान्न की कालाबाजारी होने संबंधी सूचना तथा राज्य मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का वक्तव्य।

(16) सर्वश्री बिसाहूलाल सिंह, बालाराम बच्चन तथा डॉ. विजयलक्ष्मी साधो, सदस्यगण की अनूपपुर जिले के आमाडांड खुली खदान हेतु अधिग्रहीत भूमि स्वामी कृषकों के साथ धोखाधड़ी किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(17) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की नगर निगम उज्जैन द्वारा गंभीर जलाशय से ग्रेसिम उद्योग को जल उपलब्ध न कराये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(18) श्री अजय अर्जुन सिंह, सदस्य की सीधी जिले के मझौली थाने में एक युवक द्वारा आत्महत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(19) श्री सुरेन्द्र पटवा, सदस्य की रायसेन जिले के मंडीदीप स्थित औद्योगिक ईकाईयों द्वारा बेतवा नदी में दूषित जल छोड़े जाने संबंधी सूचना तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य।

(20) डॉ. गोविन्द सिंह सदस्य की भिण्ड जिले में मिलावटी एवं सिंथेटिक दूध की बिक्री होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(21) श्री आरिफ अकील, सदस्य की पुराने भोपाल में अतिक्रमण के नाम पर बगैर नोटिस के मकान तोड़े जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(22) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन के नागदा-खाचरौद क्षेत्र में उपभोक्ताओं से विद्युत प्रभार की अधिक वसूली किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री ऊर्जा का वक्तव्य।

(23) श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य की धार जिले के धामनौद नगर में अनियमित विद्युत आपूर्ति होने से पेयजल संकट उत्पन्न होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री ऊर्जा का वक्तव्य।

(24) सर्वश्री पारस सकलेचा तथा संजय शाह मकड़ाई, सदस्यगण की रतलाम जिले में सब्जी विक्रेताओं से कमीशन लिये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य।

(25) श्री आरिफ अकील, सदस्य की प्रदेश में बिजली खरीदी में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री ऊर्जा का वक्तव्य।

(26) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, सदस्य की बालाघाट जिले में धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर न किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का वक्तव्य।

(27) डॉ. कल्पना परूलेकर तथा श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्यगण की उज्जैन के महतवास में उद्योगों के कारण कैंसर जैसी बीमारी का प्रकोप होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(28) सर्वश्री उमंग सिंघार, पारस सकलेचा तथा प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्यगण की धार गंधवानी सड़क मार्ग पर मारपीट कर लूटपाट किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(29) श्री संजय शाह मकड़ाई, सदस्य की हरदा जिले के मोरण्ड नदी पर बने एक्वाडक्ट की जर्जर हालत होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(30) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ नगर पालिका की पूर्व परिषद द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(31) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की प्रदेश में बिक रहे पानी के पाउच पर पैकिंग दिनांक न लिखे जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(32) श्री मोती कश्यप, सदस्य की मुरैना जिले के पगारा जलाशय के पट्टे आवंटन को लंबित रखे जाने संबंधी सूचना तथा मछली पालन मंत्री का वक्तव्य।

(33) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के लहार क्षेत्र में लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत हितग्राहियों को राष्ट्रीय बचत पत्र न मिलने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री महिला एवं बाल विकास का वक्तव्य।

(34) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की इंदौर के सपना-संगीता रोड पर डकैती की घटना होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(35) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सदस्य की बाणसागर एवं गंगाकछार के नहरों के रख रखाव में फर्जी भुगतान होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(36) श्री अजय यादव, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के ग्राम केरीपुरा से एक नाबालिग लड़की का अपहरण होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(37) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की प्रदेश की मंडियों में गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर न किये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य।

(38) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), सदस्य की छिंदवाड़ा स्थित पेंच पावर प्रोजेक्ट के लिये भूमि के संबंध में हुये अनुबंध में शर्तों का उल्लेख न होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री ऊर्जा का वक्तव्य।

(39) श्री रणवीर सिंह जाटव, सदस्य की भिण्ड जिले के मौ कस्बे में विद्युत करंट से मौत होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री ऊर्जा का वक्तव्य।

(40) श्री मोतीलाल तिवारी, सदस्य की प्रदेश के बेरोजगार युवकों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने हेतु आयु सीमा में छूट दिये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(41) श्री बालाराम बच्चन, डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्यगण की प्रदेश के अनेक जिलों में ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(42) श्री शरद जैन (एडवोकेट), सदस्य की गुना जिले के मकसूदनगढ़ मंडी प्रांगण स्थित पेड़ काटे जाने की अनुमति दिये जाने संबंधी सूचना तथािसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य।

(43) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की खरगौन जिला स्त्रोत समन्वयक द्वारा अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(44) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य की छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा एकीकृत विकास परियोजना को तामिया में शामिल किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(45) श्री अजय यादव, सदस्य की टीकमगढ़ में आदर्श महाविद्यालय हेतु धर्मस्व विभाग द्वारा हस्तांतरण न किये जाने संबंधी सूचना तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री का वक्तव्य।

(46) श्रीमती ललिता यादव, सदस्य की छतरपुर जिले में घटिया सरसों तेल की बिक्री होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(47) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की छतरपुर जिले के ग्राम उर्दमऊ में एक कृषक पर प्राणघातक हमला होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(48) सर्वश्री राजेश वर्मा, गिरिराज किशोर पोद्दार तथा नरेन्द्र त्रिपाठी, सदस्यगण की पन्ना स्थित विद्यालय के छात्र के साथ शोषण के दोषी वार्डन पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(49) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की बैतूल जिले के आमला नगर पालिका अध्यक्ष एवं पार्षदों पर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(50) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), सदस्य की मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेसन की गलत नीति से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का वक्तव्य।

(51) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की जनसंपर्क विभाग के नैमित्तिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को क्रमोन्नती का लाभ न दिये जाने संबंधी सूचना तथा जनसंपकर्क मंत्री का वक्तव्य।

(52) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम में अवैध मैग्नीज का परिवहन होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री खनिज साधन का वक्तव्य।

7. नामनिर्दिष्ट समितियों की घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203(1), 208(1), 213, 216(1), 224(1), 225(1), 231(2), 232, 233(1), 234-ग तथा 234-घ(2) के अधीन वर्ष 2010-2011 की अवधि में सेवा करने के लिए, माननीय अध्यक्ष द्वारा विधान सभा की निम्नांकित समितियों हेतु सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट करते हुए, नियम 180 के उपनियम (1) के अधीन उनके सभापतियों को नियुक्त किया गया है:-

कार्य मंत्रणा समिति

1. श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री
2. श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष
3. श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री
4. श्री राघवजी, वित्त मंत्री
5. डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री
6. श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री
7. श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री
8. श्री अनूप मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
9. श्री केदारनाथ शुक्ला
10. श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
11. श्री अजय अर्जुन सिंह
12. श्री हुकुम सिंह कराड़ा
13. श्री रामलखन सिंह
14. श्री लक्ष्मण तिवारी

माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा उक्त समिति के सभापति होंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

(1) श्री खुमान सिंह शिवाजी
(2) श्री देवी सिंह पटेल
(3) श्री सुदामा सिंह
(4) श्री रमेश प्रसाद खटीक
(5) श्री मूल सिंह दादा भाई
(6) श्री श्रीकांत दुबे
(7) श्रीमती मीरा दीपक यादव

श्री खुमान सिंह शिवाजी, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

याचिका समिति

(1) श्री देवेन्द्र वर्मा
(2) श्री भगत सिंह नेताम
(3) श्री ध्रुवनारायण सिंह
(4) श्रीमती ललिता यादव
(5) डॉ. बाबूलाल वर्मा
(6) श्री सुन्दर सिंह
(7) श्री राधेश्याम पाटीदार
(8) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(9) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(10) श्री उमंग सिंघार
(11) श्रीमती एल.बी. लोबो

श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्रत्यायुक्त विधान समिति

(1) श्रीमती शशि ठाकुर
(2) श्री राजेश वर्मा
(3) श्री जसवंत सिंह हाड़ा
(4) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
(5) श्री ठाकुरदास नागवंशी
(6) श्री हरीसिंह सप्रे
(7) श्री विश्वामित्र पाठक
(8) श्री विश्वेश्वर भगत
(9) श्रीमती सुलोचना रावत
(10) श्री प्रताप ग्रेवाल
(11) श्रीमती रेखा यादव

श्रीमती शशि ठाकुर, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

(1) श्री रणजीत सिंह गुणवान
(2) श्री शांतिलाल धबाई
(3) श्री माखनलाल राठौर
(4) श्री गिरिराज किशोर राजू पोद्दार
(5) श्री चम्पालाल देवड़ा
(6) श्री बली सिंह मरावी
(7) श्री रोडमल राठौर
(8) चौधरी मेर सिंह
(9) श्री बृजराज सिंह
(10) श्री पुरूषोत्तम दांगी
(11) श्री मदन कुशवाह

श्री रणजीत सिंह गुणवान, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

विशेषाधिकार समिति

(1) श्री गिरीश गौतम
(2) श्री नागर सिंह चौहान
(3) डॉ. भानू राणा
(4) श्री प्रहलाद भारती
(5) श्री मोतीलाल तिवारी
(6) श्री देवेन्द्र कुमार जैन (पत्ते वाले)
(7) श्री सुरेश चौधरी
(8) श्री सुखदेव पांसे
(9) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(10) श्री मानवेन्द्र सिंह

श्री गिरीश गौतम, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

नियम समिति

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री
(2) श्री नागेन्द्र सिंह "गुढ़"
(3) श्री हरी सिंह रघुवंशी
(4) श्री रमेश मेन्दोला
(5) इंजीनियर प्रदीप लारिया
(6) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार
(7) श्री सुरेन्द्र पटवा
(8) कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा
(9) श्री जेवियर मेड़ा
(10) श्री नारायण प्रजापति

माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा उक्त समिति के सभापति होंगे।

सदन समिति

(1) श्री हरेन्द्रजीत सिंह "बब्बू"
(2) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(3) श्री प्रेम सिंह पटेल
(4) श्री कमलेश जाटव "एडवोकेट"
(5) श्री अरूणोदय चौबे
(6) श्री विजेन्द्र सिंह मालाहेड़ा
(7) श्रीमती उमादेवी खटीक

श्री हरेन्द्रजीत सिंह "बब्बू", सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

पुस्तकालय समिति

(1) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
(2) श्री विजयपाल सिंह
(3) श्री नरेन्द्र त्रिपाठी
(4) श्री रामकिशोर (नानो) कांवरे
(5) श्री शिवमंगल सिंह तोमर

(6) श्रीमती मालिनी गौड़
(7) श्री रमेश दिलीप भटेरे
(8) श्रीमती नंदनी मरावी
(9) इंजी. लड्डूराम कोरी
(10) श्री जितेन्द्र डागा (मन्नू)
(11) श्री हेमराज कल्पोनी
(12) श्री भगवान सिंह राजपूत
(13) श्री नारायण सिंह पट्टा
(14) श्री वीर सिंह भूरिया
(15) श्रीमती इमरती देवी

श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति

(1) श्री रमेश सक्सेना
(2) श्री शिवनारायण जागीरदार
(3) श्री संतोष जोशी
(4) श्री चेतराम मानेकर
(5) श्री मोहन शर्मा
(6) श्री जमना सिंह सोलंकी
(7) श्री राजेन्द्र श्यामलाल दादू
(8) श्री रामलाल मालवीय
(9) श्री लखन घनघोरिया
(10) श्री पांचीलाल मेड़ा
(11) श्री रणवीर सिंह जाटव

श्री रमेश सक्सेना, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति

(1) श्री अन्तर सिंह आर्य
(2) श्री विश्वास सारंग
(3) श्री राव देशराज सिंह यादव
(4) श्री रामप्यारे कुलस्ते
(5) श्री धूल सिंह डाबर
(6) श्री जितु जिराती
(7) श्री आत्माराम पटेल
(8) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(9) श्री रत्नेश सॉलोमन
(10) डॉ. कल्पना परूलेकर
(11) श्री अजय यादव

श्री अन्तर सिंह आर्य, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

8. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा फरवरी-मार्च 2010 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सभापति ने लोक लेखा समिति का 54वां से 76वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

10. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के छठवें प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

(2) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि -

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च, 2010 को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प	प्रस्तुतकर्ता सदस्य	निर्धारित समय
1. (क्रमांक-6, 32)	सर्वश्री रमेश प्रसाद खटीक, प्रताप ग्रेवाल	1 घन्टा
2. (क्रमांक-9)	कुंवर विक्रम सिंह	45 मिनिट
3. (क्रमांक-44)	श्री बृजमोहन धूत	45 मिनिट

श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. सम्पत्ति विवरण पटल पर रखे जाना

निम्नलिखित मंत्रीगण द्वारा अपनी एवं अपने परिवार की संपत्ति के विवरण पटल पर रखे गये :-

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री

(2) श्री जयसिंह मरावी, राज्यमंत्री, वन तथा राजस्व

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य की ग्वालियर जिले के -
- (क) ग्वालियर नगर के अन्तर्गत वार्ड क्रमांक 5 के एकता नगर में सी.सी.रोड निर्माण कराये जाने,
- (ख) ग्वालियर नगर के दामोदर बाग कालोनी में सी.सी.रोड निर्माण कराये जाने,तथा
- (ग) ग्वालियर नगर की अल्प संख्यक बस्ती नेहरु नगर में सी.सी. कार्य कराये जाने,

(2) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य की दमोह जिले के -
- (क) हटा के महारानी लक्ष्मी बाई हा. सेकेण्ड्री कन्या शाला का भवन निर्माण कराये जाने,
- (ख) ग्राम मढ़ियादो की प्राथमिक कन्या शाला का उन्नयन कराये जाने,
- (ग) हटा नगर में अग्रवाल पेट्रोल पंप से श्री भगवती चौबे के निवास तक सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने, तथा
- (घ) ग्राम इमलिया रावत के ब्यारमा नदी पर स्टापडेम निर्माण कराये जाने,

(3) श्री अलकेश आर्य, सदस्य की बैतूल जिले के -
- (क) बैतूल की कृषि उपज मंडी में किसानों का गुड़ बेचने की व्यवस्था कराये जाने, तथा
- (ख) बैतूल नगर में कांति शिवा छविगृह के पास नाले पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(4) श्री मोतीलाल तिवारी, सदस्य की सतना जिले के -

(क) सतना जिले के नेशनल हाईवे रोड से परसोथा डोलनी तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ख) ग्राम तिलैरा की पूर्व माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(ग) ग्राम तिदुहटा के वार्डों को नल-जल योजना से जोड़े जाने, तथा

(घ) ग्राम धरमपुरा से अमरकंटक व्हाया न्यू बजरिया का मार्ग निर्माण कराये जाने,

(5) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की धार जिले के -

(क) ग्राम सरदारपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ओ.पी.डी. भवन व वार्ड का निर्माण कराये जाने,तथा

(ख) नगर पंचायत सरदारपुर के उत्कृष्ट विद्यालय की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने,

(6) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य की शिवपुरी जिले के -

(क) ग्राम टीला में हाई स्कूल खोले जाने,

(ख) ग्राम रावट भाट एवं टोरिया के बीच स्टाप डेम कम रपटा निर्माण कराये जाने,

(ग) ग्राम पचोरा इमिलिया के बीच पुलिया निर्माण कराये जाने,

(घ) ग्राम टोरिया खुर्द में मनोरंजन भवन का निर्माण कराये जाने, तथा

(ङ) ग्राम समोहा के मिडिल स्कूल का उन्नयन कराये जाने

(7) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य की सतना जिले के -

(क) अमरपाटन में कन्या महाविद्यालय खोले जाने, तथा

(ख) अमरपाटन में यातायात पुलिस की पदस्थापना किये जाने,

(8) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य की

(क) सीधी जिले के मानसिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोचिला को स्थानीय निकाय में संविलियन किये जाने, तथा

(ख) सतना जिले के रामनगर तहसील अन्तर्गत ग्राम हिनौती के पंडितान टोला में सार्वजनिक मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(9) कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा, सदस्य की छतरपुर जिले के शिवराजपुर में उसरन नाले पर स्टाप डेम निर्माण कराये जाने,

(10) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य की खण्डवा जिले के पंधाना विकास खण्ड के ग्राम खिड़गांव में संचालित माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,

संबंधी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 10 सन् 2010) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

(3) श्री पारस दादा सकलेचा

(4) श्री रामलखन सिंह

सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ला) पीठासीन हुए

(5) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

(6) श्री सुदर्शन गुप्ता

(7) श्री ताराचंद बावरिया

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 12 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 10 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(2) श्री जयंत कुमार मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश परिसर किराएदारी विधेयक, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(2) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(3) श्री पारस दादा सकलेचा
(4) श्री विश्वास सारंग

श्री जयंत कुमार मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 45 एवं अनुसूची एक से तीन विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री जयंत कुमार मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश परिसर किराएदारी विधेयक, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(3) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 12 सन् 2010) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) श्री पारस दादा सकलेचा

14. सम्पत्ति विवरण पटल पर रखे जाना

निम्नलिखित मंत्रीगण द्वारा अपनी एवं अपने परिवार की संपत्ति के विवरण पटल पर रखे गये :-

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री
(2) कुंवर विजय शाह, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री

15. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(4) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(5) श्री मदन कुशवाह
(6) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(7) श्री केदारनाथ शुक्ल
(8) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(9) श्री देवेन्द्र वर्मा
(10) श्री सुदर्शन गुप्ता

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 12 सन् 2010) पारित किया जाय।

विपक्ष के सदस्यगण द्वारा मत विभाजन की मांग की गई। मत विभाजन में प्रस्ताव के पक्ष में 69 मत एवं विपक्ष में 20 मत प्राप्त हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

16. अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि स्थायी आदेश की कण्डिका 24 एवं मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 60 (3) तथा नियम 65 (1) की अपेक्षाओं को शिथिल करते हुए :-

(1) मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010

(2) मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, 2010

(3) मध्यप्रदेश मंत्री वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2010

को आज ही पुर:स्थापित करने तथा उन पर विचार कर पारित करने की अनुमति प्रदान की गई है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

17. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(4) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(5) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(6) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मंत्री वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(7) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 11 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(8) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 5 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(9) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मंत्री वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मंत्री वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए.

18. अशासकीय संकल्प

(1) सर्वश्री रमेश खटीक तथा प्रताप ग्रेवाल, सदस्यगण ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन शासन से अनुरोध करता है कि सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था विकलांग व विधवा आदि को दी जाने वाली पेंशन (अनुग्रह राशि) का भुगतान बैंकों के माध्यम से निश्चित समय पर किया जाय ".

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रमेश खटीक

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए.

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) श्री प्रेमनारायण ठाकुर

श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।

(2) कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि पर्यटकों को रेल सुविधा हेतु भोपाल से खजुराहो के लिये कर्नाटक एक्सप्रेस में झांसी तक तथा झांसी से डेली पैसिंजर में चार बोगी जोड़कर खजुराहो तक चलाई जाय ". तथा चर्चा में भाग लिया।

श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(3) श्री बृजमोहन धूत, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"सदन का यह मत है कि विभिन्न योजनाओं में निर्मित पुल, पुलियों एवं रपटे पर स्टापडेम बनाये जायें ".तथा चर्चा में भाग लिया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

19. नियम 239 के अंतर्गत सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि उनके मेरे समक्ष निम्नांकित विशेषाधिकार भंग की सूचनायें विचाराधीन हैः-

(1) श्री राजेन्द्र सिंह सलूजा, सदस्य विधान सभा द्वारा श्रीमती लेखा तिवारी, चिकित्सक शासकीय जिला चिकित्सालय गुना के विरूद्ध।
(2) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री आर.के. सेन (डी.एस.पी.) के विरूद्ध।
(3) डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य विधान सभा द्वारा कतिपय व्यक्तियों के विरूद्ध।
(4) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा कतिपय व्यक्तियों के विरूद्ध।
(5) श्री संजय पाठक, सदस्य विधान सभा द्वारा कतिपय अधिकारियों के विरूद्ध।

(6) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य विधान सभा द्वारा नायब तहसीलदार श्री नयन सिंह सैय्याम के विरूद्ध।

(7) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री बी.जी. अहिरवार, प्राचार्य, शासकीय उत्कृष्ट उ.मा. वि. नौगांव, जिला-छतरपुर के विरूद्ध।

(8) डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य विधान सभा द्वारा ओरिएंटल टोल टैक्स कम्पनी के कर्मचारियों के विरूद्ध।

(9) श्री गिरिराज किशोर पोद्दार, सदस्य विधान सभा द्वारा कतिपय व्यक्तियों के विरूद्ध।

(10) श्रीमती सुलोचना रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा जिले के अधिकारियों के विरूद्ध।

(11) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री इंद्रवीर सिंह चौहान, नगर निरीक्षक, थाना लहार, जिला-भिण्ड के विरूद्ध।

(12) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य विधान सभा द्वारा प्राचार्य, श्री व्ही.के. जैन, नेताजी सुभाषचंद्र बोस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ब्यावरा के विरूद्ध।

(13) सर्वश्री विश्वास सारंग, आरिफ अकील, ध्रुवनारायण सिंह, राम निवास रावत, रत्नेश सॉलोमन, हेमराज सिंह कल्पोनी, लखन घनघोरिया, जितेन्द्र डागा, उमाशंकर गुप्ता एवं डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्यगण विधान सभा द्वारा भोपाल से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र (राज एक्सप्रेस) के संपादक एवं संवाददाता श्री रवीन्द्र जैन के विरूद्ध।

20. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर, निम्नानुसार उद्‌गार व्यक्त किये गये :-

"तेरहवीं विधान सभा का यह पांचवा सत्र अब समापन की ओर है। तैंतीस दिवसीय इस सत्र में सोलह बैठकें सम्पन्न हुई और अनेक वित्तीय, विधायी और लोक महत्व के कार्य संपन्न हुए। इस सत्र में सदन ने वर्ष 2010-2011 के बजट को मंजूरी दी और वर्ष 2009-2010 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान को पारित किया। इस सत्र में 15 शासकीय विधेयक पारित हुए। इस सत्र में 2610 तारांकित प्रश्न एवं 1727 अतारांकित प्रश्न प्राप्त हुए। सदन में 126 (+51 समामेलित) ध्यानाकर्षण की सूचनाएं ग्राह्य हुई। 172 याचिकाएं ग्राह्य हुई और सदन ने 9 अशासकीय संकल्प स्वीकृत किये। इस सत्र में अनेक सभा समितियों के प्रतिवेदन भी प्रस्तुत हुए।

इस सत्र में 9 मार्च से 22 मार्च, 2010 तक सदन ने भोजनावकाश स्थगित कर और बैठकों का समय सायं सात बजे तक बढ़ाकर और उसके बाद देर रात तक बैठकर कार्य किया। अनुदान की मांगों पर 47 घंटे 47 मिनट तक चर्चा हुई, इसके साथ ही बजट की संपूर्ण चर्चा पर 55 घंटे 14 मिनिट लगे। यह हमारे माननीय प्रतिनिधियों की जागरूकता का प्रतीक है। मैं समझता हूं कि यह संसदीय कार्य प्रणाली हेतु हमारी प्रतिबद्धता है। पूर्व परंपरा अनुसार सभी विभागों की मांगों पर सार्थक चर्चा हुई और माननीय सदस्यों ने विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से जनता से जुड़े मसले सदन में प्रमुखता से उठाए एवं सरकार का ध्यान उन पर आकर्षित किया।

संसदीय लोकतंत्र की उपादेयता भी इसी बात में निहित है कि जनता की समस्याओं का निराकरण हो और सरकार भी पूरी जवाबदारी तथा जिम्मेदारी से अपने कार्यों का निर्वहन एवं संचालन करे। हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हम उस गरिमामय सदन के सदस्य हैं जिसका स्वर्णिम इतिहास रहा है और जिसने अनुकरणीय संसदीय संस्कृति का निर्माण किया है।

इस सत्र को सफल बनाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय मंत्रिगण, सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के साथ ही सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभारी हूँ। मैं विधान सभा सचिवालय, शासन के कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को सहयोग के लिए धन्यवाद् देता हूँ। मैं प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुड़े सभी महानुभावों का भी उनके सहयोग के लिए आभारी हूँ तथा उन्हें धन्यवाद् देता हूँ।

मैं इस अवसर पर अपनी और सारे सदन की ओर से प्रदेशवासियों को महावीर जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए उनके कल्याण और चहुंमुखी प्रगति की कामना करता हूँ। अगले सत्र में हम सब पुनः समवेत होंगे। धन्यवाद्।"

श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, श्री हरवंश सिंह, उपाध्यक्ष महोदय, तथा श्री रामलखन सिंह, सदस्य ने भी समापन अवसर पर विचार व्यक्त किए।

21. राष्ट्रगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान **"जन-गण-मन"** का समूह गान किया गया।

अपराह्न 7.50 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 26 मार्च, 2010